संख्या- 805 /78-2-2016-53आई.टी./2008टीसी

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 12 मई, 2016

विषय:- ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत विभागीय सेवायें इलेक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि आम जनमानस को विभागीय शासकीय सेवायें सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी पद्धति से उपलब्ध कराया जाना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। उक्त के क्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन स्तर से जारी शासनादेश संख्या-1560/78-2-2015-53आई.टी./2008, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 का भी सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पूर्व में ही समस्त विभागों को निर्देशित किया जा चुका है कि वह विभाग जो वर्तमान में अपनी सेवायें मैन्यूअल पद्धति से आम जनमानस को उपलब्ध करा रहे है वें विभाग अपनी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराये जाने हेतु यथावश्यक साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की व्यवस्था करें तथा शासकीय सेवाओं हेतु विकसित किये जाने वाले पोर्टल को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से भी इन्टीग्रेट कराया जाना सुनिश्चित करें।

2. अवगत कराना है कि विभागों में ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत शासकीय सेवायें इलेक्ट्रानिक पद्धति द्वारा आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने हेतु आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अपने बजट में e-Governance Development Fund (आई.टी. पूल फण्ड) की स्थापना की गयी है, जिसके अन्तर्गत आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा विभागों के आम जनमानस से संबंधित ई-गवर्नेन्स इनिशियेटिव के इम्प्लीमेन्टेशन हेतु फण्डिंग की जायेगी।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के क्रम में वह विभाग जिनके पास इस कार्य हेतु धनराशि की कोई व्यवस्था नहीं है तथा जो ई-गवर्नेन्स /ऑनलाइन सेवाओं हेतु फण्डिंग प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, वह Guideline for Funding e-Governance Projects (संलग्न) के अनुसार अपना प्रस्ताव आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः 805 (1)/78-2-2016 तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, लखनऊ, उ0प्र0।
2. हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से भी विभागीय प्रस्ताव उपलब्ध करायें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव